राजस्थान सरकार

।। कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

(अपीलीय प्राधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अपील संख्या 05/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री सुकर्ण मेघवाल पूर्व सरपंच/पूर्व जिला उपाध्यक्ष भा0ज0पा0 युवा मोर्चा बिजली घर के पीछे, तालरिया पाड़ा, जैसलमेर।		उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

:: निर्णय :: **दिनांक : 21 फरवरी, 2017**

1. अपीलार्थी ने यह अपील इस इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी ने उसके आवेदन दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 के द्वारा चाही गई सूचनाएं उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है।
2. अपीलार्थी की अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आप द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में किन कारणों से उसके द्वारा वांछित सूचनायें उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसका कारण स्पष्ट करें एवं क्यों न इस अपील को स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस अपील का निस्तारण किया जावें। अपीलार्थी को भी सूचित किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा आपको वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में आप यदि कोई तथ्य प्रस्तुत करना चाहे तो प्रस्तुत करें।
3. अपीलार्थी व प्रत्यर्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के द्वारा अपीलोत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत पारेवर में आयोजित राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार में क्षेत्र में हो रहे अवैध बजरी खनन की रोकथाम हेतु ग्रामीणों एवं पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र डिस्पैज क्रमांक : भू0अ0/2016/20 दिनांक 31 मई, 2016 व उस पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी, जो उसे उपलब्ध नहीं करने के कारण अपील प्रस्तुत की गई है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यह अपेक्षा करता है कि लोक सूचना अधिकारी आवेदन पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराएगा या कारण बताते हुए आवेदन पत्र को अस्वीकार करेगा। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर ने उक्त आवेदन पत्र में न तो सूचना उपलब्ध करायी है और न ही कारण बताते हुए आवेदन पत्र को अस्वीकार किया है। यह विधिक त्रुटि है और यह दायित्व अब प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर का है कि आवेदन पत्र के संबंध में सूचना निःशुल्क इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें।
5. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार की जाती है।
6. मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर आज दिनांक 21 फरवरी, 2017 को निर्णय किया गया।
7. निर्णय की प्रतियां उभय पक्ष को प्रेषित की जावे।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर